भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4946
दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

छत्तीसगढ़ में डेयरी विकास योजनाएं

4946. श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ में डेयरी विकास योजनाओं के लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया है तथा फरवरी 2025 तक कितना व्यय किया गया है;

(ख) क्या फरवरी 2025 से छत्तीसगढ़ में डेयरी विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा उनका कुल वित्तीय मूल्य कितना है;

(ग) फरवरी 2025 तक इन योजनाओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में डेयरी विकास के लिए क्या-क्या उपकरण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(घ) छत्तीसगढ़ में डेयरी स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। एनपीडीडी के तहत, छत्तीसगढ़ में कुल 2338.99 लाख रुपये (2096.11 लाख रु. के केंद्रीय हिस्से सहित) के परिव्यय के साथ तीन परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है और फरवरी, 2025 तक छत्तीगढ़ राज्य सहकारी डेयरी परिसंघ लि. रायपुर को 1114.36 लाख रुपये की राशि जारी की गयी है।

(ख) फरवरी 2025 से, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजनओं के तहत छत्तीसगढ़ से अनुमोदन के लिए कोई डेयरी विकास परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) फरवरी 2025 तक, छत्तीसगढ़ राज्य में एनपीडीडी के तहत प्रदान किए गए प्रमुख उपकरणों और सुविधाओं की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

(घ) और (ड.) पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) केंद्र प्रायोजित योजना पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) को लागू करके पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य पशुधन रोगों की रोकथाम, पशु स्वास्थ्य में सुधार करना और इस प्रकार उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

i. राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) और गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (सीएडीसीपी) के तहत, खुरपका और मुंहपका रोग (एमएमडी) ब्रुसेलोसिस, पेस्टे डेस पेटिट्स रुमिनेंटस (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन फीवर के लिए टीकाकरण हेतु 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता ।

ii. राज्य प्राथमिकता वाले विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशु रोगों के नियंत्रण के लिए पशु रोग नियंत्रण (एएससीएडी) हेतु राज्यों को सहायता ।

iii. रोग निदान, उपचार, टीकाकरण, मामूली सर्जिकल हस्तक्षेप, ऑडियो-विजुअल सहायता और विस्तार सेवाओं सहित किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की डिलीवरी के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की खरीद और अनुकूलन के लिए पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी-एमवीयू) के तहत सहायता।

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में एलएचडीसीपी के तहत पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) की 340 लाख से अधिक खुराकें, लम्पी त्वचा रोग (एलएसडी) की 83 लाख खुराकें और ब्रुसेलोसिस टीकों की 7.50 लाख खुराकें दी गई हैं।

2. 163 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां (एमवीयू) काम कर रही हैं, जो किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जिससे 4.54 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं और 22.50 लाख से अधिक पशुओं को कवर किया गया है।

3 पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन से संबंधित कार्यकलापों के लिए वर्ष 2024-25 (अब तक) के लिए एलएचडीसीपी के तहत राज्य को 3383.72 लाख रु. की राशि जारी की गई है।

****

अनुबंध

फरवरी, 2025 तक छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रमुख उपकरणों और सुविधाओं की सूची नीचे दी गई है:

क्र. सं.	**उपकरण और सुविधाएँ**	
	नाम	**मात्र संख्या में**
1.	बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) डीजी सेट के साथ (2000 लीटर)	29
2.	मिल्क एनालाइजर (एफटीआईआर तकनीक आधारित)	01
3.	इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एनालाइजर (मिलावट जांच सुविधाओं के साथ)	56
4.	सोडियम पोटेशियम एनालाइजर	04
5.	मेलामाइन परीक्षण स्ट्रिप्स	04
6.	मिलावट किट	04
7.	मफल भट्टी	04
8.	स्वचालित दूध संग्रह इकाई	42
9.	लैमिनार वायु प्रवाह	01
10.	नमी विश्लेषक	01
11.	बीओडी इनक्यूबेटर	01
12.	डिजिटल वैज्ञानिक बैलेंस	01
13.	ब्यूटिरो रिफ्रैक्टोमीटर	05
14.	एसएस आटोक्लेव	01
15.	रोड मिल्क टैंकर	04
	दूध संग्रह के लिए जीप	04
16.	नमूना संग्रह के लिए मोबाइल परीक्षण प्रयोगशाला हेतु वाहन	01
17.	कंप्यूटर और सहायक उपकरण	14